पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 मार्च, 2014 ई0 (फाल्गुन 24, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क
नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इन्स्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) बिल्डिंग, आई.एस.बी.टी. के समीप,
सहारनपुर रोड़, क्लेमेन्टाऊन, देहरादून–248002

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2013

संख्या–एफ–9(21)/आरजी/यूईआरसी/2013/1287: उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सपठित 61 (एच) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) विनियम 2010 (मुख्य विनियम) में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 2 का संशोधनः

मुख्य विनियम के उप–विनियम (2.1) के खण्ड (1) में दी गई परिभाषा निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जायेगीः

"दायित्वाधीन कंपनी" से इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये आदेशाधीन, राज्य में वितरण अनुज्ञापी, कैप्टिव उपयोगकर्ता (सह–उत्पादन आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र को छोड़ कर) तथा उन्मुक्त अधिनियम उपभोक्ता अभिप्रेत है।

3. **मुख्य विनियम के विनियम 2 का संशोधनः** मुख्य विनियमों के उप–विनियम (2.1) का खण्ड (ओ) हटा दिया जायेगा।

4. **मुख्य विनियम के विनियम 5 का संशोधनः** मुख्य विनियमों का उप–विनियम (5.1) निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः

"प्रत्येक दायित्वाधीन कंपनी, 15 मार्च को या उससे पहले वार्षिक आधार पर आयोग को एक प्रति के साथ, राज्य अभिकरण को आगामी वर्ष हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की अनुमानित मात्रा यूईआरसी (सह–उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आपूर्ति का शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 के अनुसार होगी। इसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आवश्यकता की अपेक्षा वित्त वर्ष के अंत में नवीकरणीय ऊर्जा से क्रय हेतु दायित्वाधीन कंपनी की वास्तविक आवश्यकता भिन्न होने की स्थिति में नवीकरणीय क्रय मात्रा का दायित्व उस सीमा तक परिवर्तित होगा।"

5. **मुख्य विनियम के विनियम 7 का संशोधनः** मुख्य विनियम के उप–विनियम (7.2) के द्वितीय परन्तुक में आये "विनियम 6.1" को "विनियम 7.1" पढ़ा जाये।

6. **मुख्य विनियम के विनियम 8 का संशोधनः** मुख्य विनियमों का विनियम 8.1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगाः

"8.1 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में संलग्न उत्पादक कंपनी जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सह–उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन का स्वयं उपयोग सम्मिलित है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिये योग्य होगीः–

a. इसका राज्य के नेटवर्क के साथ संयोजन है तथा यह ग्रिड को ऊर्जा अन्तःक्षेपित करती है, तथापि ग्रिड में ऊर्जा का अन्तःक्षेपण नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सह–उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन के स्वयं उपभोग के मामले में प्रत्यायन हेतु पूर्वापेक्षा नहीं होगा।

b. इसके पास समुचित आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 के अधीन अपनाये गये शुल्क पर अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से किसी कंपनी को ऐसे उत्पादन के संबंधित क्षमता को विक्रय करने के लिये कोई ऊर्जा क्रय करार नहीं है।

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन का स्वयं उपभोग, राज्य के वितरण अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित क्षमता पर आधारित होगा तथा प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन से इसे ही कैप्टिव उपभोग हेतु क्षमता माना जायेगा।

c. यह, उत्पादित विद्युत या तो (1) आयोग द्वारा अवधारित वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय की पूल्ड लागत (पारेषण प्रभार छोड़कर) पर उस क्षेत्र, जिसमें योग्य कंपनी स्थित है, के ऐसे वितरण अनुज्ञापी को बेचती है या किसी (2) आपस में सहमत मूल्य पर या बाजार अवधारित मूल्य पर ऊर्जा विनियम के द्वारा किसी अन्य अनुज्ञापी या उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को तथा;

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजन हेतु, "क्रयों की पूल्ड लागत" से सह भारित औसत पूल्ड प्राइस अभिप्रेत है जिस पर दीर्घावधि व लघु अवधि सभी विद्युत आपूर्ति कर्ताओं से वितरण अनुज्ञापी ने पूर्व वर्ष में विद्युत क्रय की है, जिसमें स्वयं उत्पादन, यदि कोई है, की लागत सम्मिलित है, किंतु इसमें यथा स्थिति, वह सम्मिलित नहीं है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है।"

परन्तु ऐसी उत्पादक कंपनी, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 के अधीन अपनाये गये शुल्क पर अपने नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन से दायित्वाधीन कंपनी के साथ विद्युत के विक्रय हेतु ऊर्जा क्रय करार करने पर, करार को समय से पूर्व समाप्ति करने की स्थिति में, ऐसे करार समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या ऊर्जा क्रय करार की समाप्ति की अनुसूचित तिथि, जो पहले हो, के लिये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरइसी) में सहभागिता हेतु योग्य नहीं होगी।

परन्तु आगे यह भी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादक संयंत्र (सीजीपी) इस शर्त के अधीन आर ई सी योजना में सहभागिता हेतु स्वतः उपभोग के लिये ऐसे संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन के लिये योग्य होगें कि ऐसे सीजीपी ने रियायती/संप्रवर्तक पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा लाभ प्राप्त नहीं किया है या इसे प्राप्त करना प्रस्तावित नहीं है।

परन्तु यह भी कि यदि ऐसा किसी सीजीपी रियायती पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा लाभों को स्वयं त्याग देता है तो वह लाभ त्याग देने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् ही आरईसी योजना में भाग लेने के लिये योग्य होगा।

परन्तु यह भी कि आरईसी योजना में भाग लेने के लिये सीजीपी हेतु उपरोक्त शर्त तब लागू नहीं होगी जबकि रियायती पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा के रूप में ऐसे सीजीपी को दिये गये लाभ आयोग और/या राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिये जायें।

परन्तु यह भी कि पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा लाभ के रूप में रियायती लाभ प्राप्त कर रहे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह उत्पादन संयंत्रों को उत्पादित ऊर्जा के स्वतः उपभोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के प्रयोजन से ऐसे लाभों को छोड़ना होगा। ऐसे लाभों को त्यागने के तुरन्त पश्चात् ऐसा संयंत्र आरईसी योजना में भाग लेने के लिये योग्य हो जायेगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि एक सीजीपी या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक ने ऐसे रियायती/संप्रवर्तक लाभ प्राप्त किये हैं या नहीं तो इसे निर्णय हेतु आयोग को संदर्भित किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजन हेतु "बैंकिंग सुविधा लाभ" पद से केवल ऐसी बैंकिंग सुविधा अभिप्रेत होगी जिसके द्वारा सीजीपी या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह–उत्पादक स्टेशन्स किसी समय (पीक आवर्स को छोड़कर) बैंक की गई ऊर्जा के उपभोग का लाभ प्राप्त करते हैं।

d. इसके पास ऊर्जा की मीटरिंग और समय खण्ड वार लेखा रखने हेतु आवश्यक संरचना है।

परन्तु दायित्वाधीन कंपनी द्वारा अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व से अधिक क्रय की गई नवीकरणीय ऊर्जा जो राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा प्रमाणित की गयी हो, को आनुपातिक आधार पर क्रयों की पूल्ड लागत पर नवीकरणीय उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई मानी जायेगी जो ऐसे उत्पादकों के विकल्प पर संबंधित दायित्वाधीन कंपनी और राज्य नोडल एजेंसी को लिखित में दिया गया हो तथा ऐसे उत्पादक केवल ऐसे अधिक उत्पादन हेतु प्रत्यायन के लिए हकदार होंगे। राज्य नोडल एजेन्सी संबंधितों से आवश्यक राय लेने के पश्चात् प्रत्येक उत्पादक हेतु ऐसी यूनिट्स की मात्रा प्रमाणित करेगी। ऐसे उत्पादकों के ऊर्जा क्रय करारों को तदनुरूप संशोधित भी किया जायेगा।

e. यह, ऐसी कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व के अनुपालन हेतु एक दायित्वाधीन कंपनी को सीधे या किसी ट्रेडिंग कम्पनी के माध्यम से संयंत्र से उत्पादित विद्युत नहीं बेची जाती है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

विद्युत नियामक भवन, आई.एस.बी.टी. के समीप, पो.आ. माजरा, देहरादून–248171, उत्तराखण्ड

गणपूर्ति

श्री जगमोहन लाल	अध्यक्ष
श्री सी.एस. शर्मा	सदस्य
श्री के.पी. सिंह	सदस्य

"उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व का अनुपालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 हेतु कारणों का विवरण"

कारणों का विवरण

1. प्रस्तावना

आयोग ने अधिसूचना दिनांक 03 नवम्बर, 2010 के द्वारा यूईआरसी (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) विनियम, 2010 (इसमें आगे मुख्य विनियम के रूप में संदर्भित) अधिसूचित किया था। इन विनियमों का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) की संकल्पना आरम्भ करना था जिसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता और नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों को पूरा करने के लिये दायित्वाधीन कंपनियों की आवश्यकता

के मध्य असंतुलन को दूर करना था। आरईसी तंत्र का ध्येय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश को प्रोन्नत करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अपनी लागतों की वसूली हेतु उन्हें एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान कराना था। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में नये निवेशों की प्रोन्नति में मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्रय करार में बंधी उत्पादन क्षमता को आरईसी तंत्र में सहभागिता हेतु योग्यता पृथक से रखी गयी थी।

आयोग ने योग्य कंपनियों को विनियमों की प्रयोज्यता पर स्पष्टता प्रदान करने तथा आरईसी से संबंधित प्रक्रियाओं में आवश्यक अंकुश और संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से प्रारूप "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013" प्रकाशित किया जिसमें वर्तमान में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

i. दायित्वाधीन कंपनी की परिभाषा
ii. प्रमाणपत्र जारी करने के लिये योग्यता मानदण्ड
iii. प्रतिस्पर्धात्मक बोली न कि नियामकों द्वारा अवधारित लागत सहित शुल्क के माध्यम से किये गये ऊर्जा क्रय करार में व्यवहार से संबंधित मामले
iv. नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र (सीजीपी) द्वारा और नवीकरणीय ऊर्जा सह–उत्पादक संयंत्र द्वारा स्वतः उपभोग
v. खोई आधारित सह उत्पादन के मामलों में सीजनल ऊर्जा क्रय करार का मुद्दा
vi. आयोग द्वारा अवधारित क्रय की पूल्ड लागत की दर पर स्थानीय वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत अधिप्राप्ति
vii. आयोग यह भी स्पष्ट करता है कि आरपीओ के अनुपालन हेतु एक दायित्वाधीन कंपनी को आपूर्ति की गयी विद्युत आरईसी हेतु योग्य नहीं होगी क्योंकि आरईसी के इसे योग्यता की अनुमति देने से ग्रीन एट्रिब्यूट्स की दोहरी गणना हो जायेगी।

टिप्पणियों/सुझावों/आपत्तियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.09.2013 रखी गयी थी। टिप्पणियां प्रस्तुत करने वाले स्टेकहोल्डर्स की सूची संलग्नक–1 के रूप में दी गई है।

<u>स्टेकहोल्डर्स के दृष्टिकोणों पर विचार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोग का विश्लेषण और निष्कर्ष:–</u>

1. दायित्वाधीन कंपनी की परिभाषा (मुख्य विनियम के विनियम–2 का संशोधन):

प्रारूप संशोधन, मुख्य विनियम के उप–विनियम (2.1) के खण्ड (1) में दी गयी "दायित्वाधीन कंपनी" की परिभाषा निम्नलिखित रूप उपबंधित करता है:

"दायित्वाधीन कंपनी" से, इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये आदेशाधीन, राज्य में वितरण अनुज्ञापी, कैप्टिव उपयोगकर्ता (सह–उत्पादन आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों को छोड़कर) तथा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता अभिप्रेत है।"

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर ने अपनी टिप्पणियों में कहा है कि उप–विनियम (5.1) में दी गयी दायित्वाधीन कंपनी की परिभाषा को भी मुख्य विनियम के उपविनियम (2.1) के खण्ड (1) में प्रस्तावित परिभाषा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये। उरेडा, राज्य अभिकरण की राय थी कि "और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र" शब्द 'सह–उत्पादन आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों को छोड़कर' शब्दों के पश्चात् जोड़ा जाये।

विश्लेषण और निर्णय

आयोग का मत है कि सेन्चुरी रेयन बनाम एमईआरसी एवं अन्य में 2009 की अपील सं0 57 दिनांक 26–04–2010 में माननीय ए.टी.ई. (ATE) ने अपने निर्णय में कहा है कि ''नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिये सह–उत्पादक पर दायित्व कसने के धारा 86(1)(ई) का उद्देश्य विफल हो जायेगा। माननीय ए.टी.ई. (ATE) ने उपरोक्त निर्णय में यह भी कहा है कि अपील की प्रकृति सामान्य होने के कारण अपील में निष्कर्ष उन सभी सह–उत्पादन आधारित कैप्टिव उपयोगकर्ता पर समान रूप से लागू होंगे जो किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग कर रहे होंगे। तद्नुरूप, माननीय ए.टी.ई (ATE) के उपरोक्त निर्णय के आलोक में आयोग ने प्रारूप विनियमों में उपबंधित परिभाषा को बनाये रखने का निश्चय किया है। तथापि, जैसा कि मै0 सेन्चुरी पल्प एंड पेपर ने उप–विनियम (5.1) के संशोधन के संबंध में कहा है, आयोग का अवलोकन है कि उप–विनिमय (2.1) के साथ सुसंगतता रखने के लिए उप–विनियम (5.1) का संशोधन भी निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

मुख्य विनियम के उप–विनियम (5.1) का संशोधन

मुख्य विनियम के उप विनिमय (5.1) को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा:

''प्रत्येक दायित्वाधीन कंपनी, 15 मार्च को या उस से पहले वार्षिक आधार पर आयोग को एक प्रति के साथ, राज्य अभिकरण को आगामी वर्ष हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की अनुमानित मात्रा यूईआरसी (सह–उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आपूर्ति का शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 के अनुसार होगी। इसके द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकता की अपेक्षा वित्त वर्ष के

अंत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्रय हेतु दायित्वाधीन कंपनी की वास्तविक आवश्यकता भिन्न होने की स्थिति में नवीकरणीय क्रय मात्रा का दायित्व उस सीमा तक परिवर्तित होगा।''

आगे, ''दायित्वाधीन कंपनी'' की परिभाषा से नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयत्रों को हटाने के उरेडा के प्रस्ताव पर यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य विनियम में सभी कैप्टिव उपयोगकर्ता दायित्वाधीन कंपनी के अधीन सम्मिलित किये गये थे। तथापि, ऊपर विश्लेषण किये अनुसार ,माननीय ए.टी. ई. के निर्देशानुसार केवल सह–उत्पादन आधारित कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को ही दायित्वाधीन कंपनी के सीमा क्षेत्र से पृथक किया गया है। इसके अतिरिक्त, दायित्वाधीन कंपनी की परिभाषा एफ.ओ.आर (फोरम ऑफ रेगुलेटर्स) द्वारा अनुमोदिनत आरईसी संरचना के लिये राज्य विद्युत नियामक आयोगों हेतु मॉडल विनियमों के अनुसार है। अन्य कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को दायित्वाधीन कंपनी के रूप में आच्छादित किया गया है। इसके अलावा, नवीकरणीय आधारित कैप्टिव उपयोगकर्ता नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध कुल उत्पादन से अपना दायित्व पूरा कर सकते हैं। अतएव आयोग, ''दायित्वाधीन कंपनी'' के सीमा क्षेत्र से बाहर नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को पृथक करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता है।

2. मुख्य विनिमय के विनिमय 8 का संशोधन

a. <u>मुख्य विनिमय के उप–विनिमय (8.1) के खण्ड (ए) का प्रस्तावित संशोधन</u>

मै0 सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर तथा उरेडा ने कहा है कि 'संयोजिता' को अधिक स्पष्ट होना चाहिये। मै0 सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर ने सुझाव दिया है कि वे आर ई. आधारित सह–उत्पादन संयंत्र जिनके पास ग्रिड के अन्तःक्षेपण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है, को संयोजिता की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसी स्थिति में उन्हें संयोजित माना जाना चाहिये।

<u>विश्लेषण और निर्णय</u>

आयोग का मत है कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सह–उत्पादन से उत्पादित विद्युत का स्वयं उपभोग आरईसी तंत्र हेतु योग्य किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा स्वयं उपभोग ग्रिड ऊर्जा से मांग को वास्तव में प्रतिस्थापित करता है। तथापि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आरईसी विनिमयों के अनुसार सी.पी.पी. सहित केवल ग्रिड संयोजित आर ई प्रौद्यौगिकी ही आरईसी तंत्र के अधीन सहभागिता हेतु योग्य हैं। ग्रिड संयोजित सी पी पी के मामले में ऐसे सी.पी.पी. स्वंय उपभोग को ग्रिड में माने गये अन्तःक्षेपण के रूप में लिया जायेगा। अतः आरईसी संरचना के अधीन प्रत्यायन प्रदान करने के लिये

अन्तःक्षेपण का आग्रह किया जाना चाहिये तथा सी.पी.पी. का स्वयं उपभोग ग्रिड में गये अन्तःक्षेपण के रूप में लिया जायेगा। अतः मुख्य विनियम को उप–विनियम (8.1) के खण्ड (ए) को निम्नलिखित के द्वारा प्रति स्थापित किया जायेगाः

"इसका राज्य के नेटवर्क के साथ संयोजन है तथा यह ग्रिड को ऊर्जा अन्तःक्षेपित करती है, तथापि ग्रिड में ऊर्जा का अन्तःक्षेपण नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सह–उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन के स्वयं उपभोग के मामले में प्रत्यायन हेतु पूर्वापेक्षा नहीं होगा।"

b. मुख्य विनिमयों के उप–विनिमय (8.1) के खण्ड (बी) का प्रस्तावित संशोधनः

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 ओपन एक्सेस यूजर्स एसोसियेशन ने कहा है कि विनियम (8.1) के खण्ड (बी) में शब्द "अधिमानी शुल्क" को शब्द "शुल्क" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये।

विश्लेषण और निर्णय

आयोग का मत है कि उप विनियम (2.1) के खण्ड (ओ) के अधीन परिभाषित "अधिमानी शुल्क" को प्रारूप संशोधन विनियम के साथ संलग्न एस ओ आर में 'उल्लिखित कारणों' से प्रारूप संशोधन विनियमों में मुख्य विनियमों में से हटा दिया जाये प्रस्तावित है। तद्नुरूप यही सुधार विनियम (8.1) के खण्ड (बी) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

"इसके पास समुचित आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 के अधीन अपनाये गये शुल्क पर अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन से, ऐसे उत्पादन से संबंधित क्षमता को किसी कंपनी को विद्युत विक्रय हेतु ऊर्जा क्रय करार नहीं है:

परन्तु नवीरकणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह–उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन का स्वयं उपभोग, राज्य के वितरण अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित क्षमता पर आधारित होगा तथा इसे ही प्रमाण पत्र जारी किये जाने के प्रयोजन से कैप्टिव उपभोग हेतु क्षमता माना जायेगा"

b. मुख्य विनियमों के उप–विनियम (8.1) के खण्ड (सी) का प्रस्तावित संशोधनः

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 आर ई कनैक्ट एनर्जी सोल्यूशन्स का कहना है कि आयोग को ''(पारेषण प्रभार छोड़कर)'' शब्दों को हटाने पर विचार करना चाहिये क्योंकि (1) ए.पी.पी.सी. करार स्थानीय डिस्कॉम को ऊर्जा विक्रय का करार है और इसलिए इसमें सामान्यतया पृथक पारेषण प्रभार सम्मिलित नहीं होते हैं तथा (2) यह केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आरईसी विनियमों (द्वितीय संशोधन) से पथांतरित होता है।

विश्लेषण और निर्णय

आयोग का मत है कि ऊर्जा की औसत पूल्ड लागत (ए.पी.पी.सी.) को इस आयोग द्वारा मुख्य विनियमों और साथ ही सी ई आर सी द्वारा सुसंगत विनिमयों के अधीन परिभाषित किया गया है। '

'इन विनियमों के प्रयोजन से ''कय की पूल्ड लागत'' से वह भारित औसत पूल्ड मूल्य अभिप्रेत है जिस पर वितरण अनुज्ञापी ने दीर्घावधि तथा लघु अवधि सभी ऊर्जा आपूर्ति कर्ताओं से पूर्व वर्ष में विद्युत कय की है जिसमें स्वयं उत्पादन, यदि कोई है, की लागत सम्मिलित है किंतु इसमें यथास्थिति, वह सम्मिलित नहीं है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है।''

ए.पी.पी.सी. की उपरोक्त परिभाषा से यह प्रकट है कि ए.पी.पी.सी. पारेषण प्रभारों का सम्मिलन उपबंधित नहीं करती है बल्कि केवल डिस्कॉम की ऊर्जा कय लागत को संदर्भित करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आरईसी विनियमों (द्वितीय संशोधन) में पारेषण प्रभारों को नहीं किया जा सकता है तथा उप–विनियम 8.1 के खण्ड (सी) निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा।

''सी. यह, उत्पादित विद्युत या तो (i) आयोग द्वारा अवधारित वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा कय की पूल्ड लागत (पारेषण प्रभार छोड़कर) पर उस क्षेत्र, जिसमें योग्य कंपनी स्थिति है, के ऐसे वितरण अनुज्ञापी को बेचती है या किसी (ii) आपस में सहमत मूल्य पर या बाजार अवधारित मूल्य पर ऊर्जा विनियम के द्वारा किसी अन्य अनुज्ञापी या उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को, तथा

स्पष्टीकरणः इन विनियमों के प्रयोजन हेतु, ''कयों की पूल्ड लागत'' से वह भारित औसत पूल्ड प्राइस अभिप्रेत है जिस पर दीर्घावधि व लघु अवधि सभी विद्युत आपूर्ति कर्ताओं से वितरण अनुज्ञापी से पूर्व वर्ष में विद्युत कय की है, जिसमें स्वयं यथा स्थिति वह सम्मिलित नहीं है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अवधारित है।''

c. उप–विनियम (8.1) के खण्ड (सी) के अंत में प्रस्तावित संशोधनः

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 आर ई कनैक्ट एनर्जी सॉल्यूशन्स ने कहा है कि आयोग को यह भी उल्लिखित करना चाहिये कि ऐसी कंपनी जिसमें अपने नवीरकणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन से दायित्वाधीन कंपनी के साथ विद्युत के विक्रय हेतु ऊर्जा क्रय करार किया है वह आरईसी तंत्र के अधीन योग्य हो सकती है यदि ऊर्जा क्रय करार परस्पर सहमति से समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात् दोनों पक्ष ऊर्जा क्रय करार समाप्त करने के लिए आपस में सहमत हुए हैं।

मै0 ओपन एक्सेस यूजर्स एसोसियेशन ने कहा है कि इस विनिमय के प्रयोजन से ''बैकिंग सुविधा लाभ'' पद से केवल ऐसी बैंकिग सुविधा अभिप्रेत होगी, जिसके द्वारा सी जी पी या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों को किसी भी समय (पीक आवर्स छोडकर) बैंक्ड ऊर्जा उपयोग करने का लाभ मिलता है। विनिमय 8.1 के खण्ड (सी) के अंत में ये शब्द प्रतिस्थापित किये जाने चाहिये :–स्पष्टीकरण – इस विनिमय के प्रयोजन से ''बैंकिग सुविधा लाभ'' पर से केवल ऐसी बैंकिग सुविधा से अभिप्रेत होगी जिसके द्वारा सी जी पी या नवीरकणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों को किसी भी समय (पीक आवर्स सहित) बैंक्ड ऊर्जा उपयोग करने का लाभ मिलता है तब भी जब कि ऑफ पीक आवर्स के समय ग्रिड में अन्तःक्षेपण किया है।

विश्लेषण और निर्णय

आयोग, प्रारूप संशोधन विनिमय के साथ के अपने एस ओ आर में पहले ही इस विषय का संपादन कर चुका है। यदि इस निवेदन को अनुमति दी जाती है तो अधिमानी (कॉस्ट प्लस) शुल्क पर विद्युत से विक्रय हेतु वितरण युटीलिटीज के साथ वर्तमान ऊर्जा क्रय करार किये हुए सभी नवीकरणीय उत्पादक आर ई सी तंत्र के माध्यम से लाभ अर्जित करने से एक मात्र उद्देश्य से वर्तमान करारों को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अतः वर्तमान ऊर्जा क्रय करारों को तोड़ने से हतोत्साहित करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया था कि ऐसा उत्पादक दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय करार में बंधी उत्पादक क्षमता के संबंध में आर ई सी तंत्र में भाग लेने के लिए तीन वर्ष या ऊर्जा क्रय करार की अवधि की समाप्ति, जो पहले हो, के लिए अयोग्य होगा। इसके अतिरिक्त आयोग का प्रेक्षण है कि उपरोक्त

संशोधन सी ई आर सी द्वारा ज़ारी विनियमों के अनुकूल है। अतः आयोग का मत है कि इसे बनाये रखा जाये।

यूईआरसी (गैर परम्परागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क और अन्य निबंधन) विनियम, 2013 में "बैकिंग" पद को इस रूप में परिभाषित किया गया है– "वह प्रक्रिया जिस के अधीन कैप्टिव उत्पादन स्टेशन, तृतीय पक्ष को या अनुज्ञापी को बेचने के आशय से नहीं बल्कि अपने स्वयं के उपयोग हेतु ग्रिड से इस ऊर्जा की आपूर्ति करता है।" इसके अतिरिक्त, उपरोक्त आर ई विनियम, 2013 का विनियम 46 बैंक्ड ऊर्जा की निकासी हेतु उपबंध करता है। इसका सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है।

"46. ऊर्जा की बैंकिंग (केवल कैप्टिव उत्पादक संयंत्रों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों के मामले में लागू)

(1) उत्पादक स्टेशनों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपातकाल या संयंत्र की बंदी या मरम्मत की स्थिति में बैंक्ड ऊर्जा की निकासी के प्रयोजन से, एक कैलेण्डर माह की अवधि के भीतर ऊर्जा को बैंक करने की अनुमति होगी।

(ए) संयंत्र और वितरण अनुज्ञापी के मध्य सहमति हुए अनुसार 100 प्रतिशत तक ऊर्जा की बैंकिंग आयोग द्वारा समय–समय पर अपने शुल्क आदेशों में पीक आवर्स घोषित किये गये समय पर अनुमन्य होगी।

(बी) ऊर्जा की निकासी, आयोग द्वारा समय समय पर अपने शुल्क आदेशों में पीक आवर्स के रूप में घोषित अविधि को छोडकर अन्य अवधि में अनुमन्य होगी।

उपरोक्त से यह प्रकट है कि स्टेकहोल्डर्स द्वारा दिया गया सुझाव वर्तमान विनियम के उपबंध मे प्रतिकूल है जो कि पीक आंवर्स की अवधि में बैंक्ड ऊर्जा की निकासी की अनुमति नहीं देता है। राज्य में पीक आवर्स के समय कमी की स्थिति रहती है क्योंकि पीक मांग बढ़ जाती है तथा इस मांग को पूरा करने के लिए अनुज्ञापी को कभी कभी ग्रिड से मंहगी ऊर्जा की निकासी करनी पड़ती है। अतः स्टेकहोल्डर्स द्वारा प्रस्तावित किये अनुसार पीक आवर्स की अवधि में ऊर्जा की निकासी की अनुमति देने से वितरण अनुज्ञापी के घाटे में वषद्धि होगी। तद्नुसार, स्टेकहोल्डर्स द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर

विचार नहीं किया जायेगा तथा आयोग का मत है कि इस प्रस्तावित संशोधन को बनाये रखा जाये, जो कि निम्न रूप से पठित है:–

"परन्तु ऐसी उत्पादक कंपनी आयोग द्वारा आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 के अधीन अपनाये गए शुल्क पर अपने नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन से दायित्वाधीन कंपनी के साथ विद्युत के विक्रय हेतु ऊर्जा क्रय करार करने पर करार की समय पूर्व समाप्ति करने की स्थिति में ऐसे करार समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या ऊर्जा क्रय करार की समाप्ति की अनुसूचित तिथि, जो पहले हो, के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आई.ई.सी.) में सहभागिता हेतु योग्य नहीं होगी।

परन्तु आगे यह भी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादक संयंत्र (सी.जी.पी) इस शर्त के अधीन आर ई सी ऊर्जा उत्पादन के लिए योग्य होंगे कि ऐसे सी जी पी ने रियामती/संप्रवर्तक पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और/या बैंकिगं सुविधा लाभ प्राप्त नहीं किया है या इसे प्राप्त करना प्रस्तावित नहीं है।

परन्तु, यह भी कि यदि ऐसा सी जी पी रियायती पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा लाभों को स्वंय त्याग देता है तो वह लाभ त्याग देने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् ही आर ई सी योजना में भाग लेने के लिये योग्य होगा।

परन्तु यह भी कि आर ई सी योजना में भाग लेने के लिए सी जी पी हेतु उपरोक्त शर्त तब लागू नहीं होगी जबकि रियायती पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा के रूप में ऐसे सी जी पी को दिए गये लाभ आयो और/या राज्य सरकार द्वारा वापस के लिए जायें।

परन्तु यह भी कि पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और/या बैंकिंग सुविधा लाभ के रूप में रियायती लाभ प्राप्त कर रहे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह उत्पादन संयंत्रों को उत्पादित ऊर्जा के स्वतः उपभोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के प्रयोजन से ऐसे लाभों को छोडना होगा। ऐसे लाभों को त्यागने के तुरन्त पश्चात् ऐसा संयंत्र आर ई सी योजना में भाग लेने के लिए योग्य हो जायेगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि सी जी पी या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक ने ऐसे रियायती/संप्रवर्तक लाभ प्राप्त किए हैं या नही तो इसे निर्णय हेतु आयोग को संदर्भित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन हेतु बैंकिगं सुविधा लाभ पद से केवल ऐसी बैंकिंग सुविधा अभिप्रेत होगी जिसके द्वारा सी जी पी या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत्रों पर आधार सह–उत्पादन स्टेशन्स किसी समय (पीक आवर्स को छोड़कर) बैंक की गई ऊर्जा के उपभोग का लाभ प्राप्त करते हैं।"

e. मुख्य विनिमयों के उप–विनियम (8.1) के अधीन खण्ड (डी) के पश्चात् नया जोड़ने का प्रस्तावित संशोधनः

प्राप्त टिप्पणियां :

मै0 आर ई कनैक्ट एनर्जी सॉल्यूशन्स का कहना है कि एक ऊर्जा संयंत्र द्वारा एक ट्रेडर को ऊर्जा का विक्रय और तत्पश्चात् व्यवसायी द्वारा विक्रय दो स्वतन्त्र लेन–देन हैं। एक ऊर्जा संयंत्र द्वारा एक व्यापारी को विक्रय का उसके पश्चात् व्यापारी द्वारा ऊर्जा विक्रय पर बहुत कम नियन्त्रण है या नियन्त्रण नहीं है। व्यापारी ऊर्जा विनिमय आधार पर या द्विपक्षीय समझौते के अधीन ऊर्जा का विक्रय कर सकता है। प्रायः परियोजना को यह ज्ञात नहीं होता कि अंतिम क्रयकर्ता कौन है। इस प्रकार, एक व्यवसायी को एक आर ई उत्पादक द्वारा ऊर्जा का विक्रय ऊर्जा का तृतीय पक्ष विक्रय माना जाना चाहिये और इसलिये उसे खण्ड 5(सी)(ii) के अधीन आरईसीज़ हेतु योग्य माना जाना चाहिये। इसने आयोग से निवेदन किया है कि प्रस्तावित 8.1(ई) से "ट्रेडर" शब्द हटा दिया जाये ताकि खण्ड को इस प्रकार पढ़ा जाये–"ई. यह संयंत्र में उत्पादित विद्युत, दायित्वाधीन कंपनी द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन हेतु उस कंपनी को सीधे नहीं बेचता है।

विश्लेषण और निर्णय

आयोग ने प्रारूप संशोधन आरईसी विनियम के साथ संलग्न एसओआर में स्पष्ट किया है कि अपने आरपीओ के अनुपालन हेतु एक दायित्वाधीन कंपनी को आपूर्ति की गई विद्युत आरईसी हेतु योग्य नहीं होगी। क्योंकि इसे आरईसीज़ हेतु योग्य होने की अनुमति देने से ग्रीन एट्रीब्यूट्स की दोहरी गणना हो जायेगी। इस उपबंध का आशय यह है कि आरईसी/आरपीओ लाभ केवल एक कंपनी प्राप्त करे। यदि आरई आधारित उत्पादन आरईसी प्रत्यायन हेतु योग्य होना चाहता है कि तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा

एक दायित्वाधीन कंपनी को विक्रय की उस दायित्वाधीन कंपनी के आरपीओ को पूरा करने के लिये गणना नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधन सीईआरसी द्वारा लिये गये संशोधन के अनुरूप हैं, अतः स्टेकहोल्डर्स के सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकता।

f. मुख्य विनियमों के उप–विनियम (7.2) के द्वितीय परन्तुक में प्रस्तावित संशोधनः

आयोग की जानकारी में आया है कि मुख्य विनियमों के उप–विनियमों (7.2) के द्वितीय परन्तुक में "विनियम 7.1" के स्थान पर त्रुटिवश "विनियम 6.1" उल्लिखित हुआ है। तदनुसार मुख्य विनियमों के उप–विनियमों (7.2) के द्वितीय परन्तुक को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः

"परन्तु जहां आयोग ने अनुपालन आवश्यकता को अग्रेनीत करने की सहमति दी है वहां उपरोक्त 7.1 के उपबंध या अधिनियम की धारा 142 के उपबंध का अवलंबन नहीं लिया जायेगा।"

g. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से एपीपीसी दरों पर ऊर्जाः

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 भिलंगना हायड्रो पावर लि0 ने कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में आयोग नवीकरणीय क्रय दायित्व विनियम में समुचित उपबंध संरचित कर सकता है, जिसमें वितरण अनुज्ञापी/डिस्कॉम, प्रस्तावित होने पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से एपीपीसी दरों पर ऊर्जा क्रय हेतु दायित्वाधीन होंगे। इससे उन वर्तमान परियोजनाओं की जीवन क्षमता के समर्थन में सहायता मिलेगी जो वर्तमान बाजार परिदृश्य में 'प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है तथा इससे आनेवाली परियोजनाओं के निवेशकों में' भी विश्वास बढ़ेगा।

विश्लेषण और निर्णय

इस सम्बन्ध में आयोग का मत है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से ही ऊर्जा प्राप्त करने के लिये अनुज्ञापी पर दबाव नहीं डाल सकता। नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) अनुज्ञापी के लिये नियत किया गया है तथा तदनुसार यह अनुज्ञापी का परमाधिकार है कि वह अपने क्रयों को नियोजित करे। इसके अतिरिक्त आरईसी तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश को प्रोन्नत करने तथा अपनी लागत की वसूली हेतु आरई उत्पादकों को एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान करने का ध्येय रखता है। अतः उपरोक्त के आलोक में, स्टेकहोल्डर्स का सुझाव स्वीकार्य नहीं है।

h. ऊर्जा मीटरिंग और समय खण्ड–वार लेखाकरण करने के लिये आवश्यक संरचनाएंः

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 सेन्चुरी पल्प एंड पेपर ने ऊर्जा मीटरिंग और समय खण्ड–वार लेखाकरण करने के लिये आवश्यक संरचना की आवश्यकता के सम्बन्ध में उप–विनियम (8.1) के खण्ड (डी) को संदर्भित करते हुए कहा है कि कैप्टिव ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में यदि स्वयं उपभोग पर आरईसी अनुमन्य किया जा रहा है तो कुल ऊर्जा उपभोग एवं स्वयं उपभोग हेतु मीटर आवश्यक है। उसने यह भी कहा है कि मीटर की शुद्धता राज्य ग्रिड संहिता से पुष्ट होनी चाहिये। तथापि, समय–खण्ड वार लेखाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मीटर यथास्थिति, अपना उपभोग और उत्पादन मॉनीटर करेंगे।

विश्लेषण और निर्णय

इस सम्बन्ध में, यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि कैप्टिव उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो अपनी सम्पूर्ण आवश्यकता अपने स्वयं के उत्पादन द्वारा पूरी करते हैं तथा दूसरे प्रकार के वे हो सकते हैं जिन्हें अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये कुछ ऊर्जा निवासी की आवश्यकता पड़ती है। यहां तक कि कैप्टिव उपयोगकर्ताओं की पहली श्रेणी भी ऐसे समय पर कुछ ऊर्जा की ग्रिड से निकासी कर सकती है जब उनका उत्पादन उनकी आवश्यकता से कम होता है। अतः दोनों के मध्य अंतर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यूईआरसी (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) विनियम, 2010 के अधीन, आयोग द्वारा अनुमोदित स्टेट ऐजेन्सी द्वारा आरई उत्पादन परियोजना के प्रत्यायन हेतु प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उपबंधित करती है कि मीटर सी0ई0ए0 विनियमों से सुसंगत होने (होना) चाहिये। अतः स्टेकहोल्डर्स के प्रत्युत्तर में कोई गुणवत्ता नहीं है और इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

i. उपभोक्ता के रूप में अपनी नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये आरई उत्पादक द्वारा आरईसीज़ समायोजित करनाः

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 ओपन एक्सेस यूज़र्स एसोसियेशन ने कहा है कि कैप्टिव उत्पादक संयंत्र सहित एक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक को सम्बन्धित राज्य अभिकरण द्वारा स्पष्टीकरण और सत्यापन की शर्त पर एक उपभोक्ता के रूप में अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये प्रमाण पत्र रखने की अनुमति दी जानी चाहिये। उसने यह भी कहा है कि कैप्टिव उत्पादक संयंत्र सहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक, अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये इसके द्वारा रखे गये प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित विवरणों की सूचना केन्द्रीय अभिकरण को देगा। इसने आगे कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा

उत्पादक को एक उपभोक्ता के रूप में अपनी समूह कंपनियों के नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये प्रमाण पत्र रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

विश्लेषण और निर्णय

इसे सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने हेतु निबंधन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 में पहले ही उपबंधित किया जा चुका है। आगे, मुख्य विनियमों का विनियम 4.2 निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करता है:

"ऐसे निर्देश के अधीन जो कि समय समय पर आयोग द्वारा दिये गये हैं, दायित्वाधीन कंपनी, इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये प्रमाण पत्र की प्राप्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी किये जाने के लिये निबंधन और शर्तें) अधिनियम, 2010 से सुसंगत कार्य करेगी।"

अतः मुख्य विनियमों में ऊपर संदर्भित उपबंध को ध्यान में रखते हुए इसके लिये पृथक रूप से उपबंध करने की आवश्यकता है।

j. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित विद्युत के एक मेगावाट घंटे के रूप में 1 आरईसी का प्रतिनिधित्वः

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 ओपन एक्सेस यूज़र्स एसोसियेशन ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित विद्युत के एक मेगावाट घंटे के तत्समय 1 आरईसी और ग्रिड में अन्तःक्षेपित या अन्तःक्षेपित माने गये (योग्य कैप्टिव संयंत्रों द्वारा स्वयं उपभोग के मामले में) को दर्शाते हुए मुख्य विनियमों में विनियम का अतिरिक्त उपबंध किया जाना चाहिये। आयोग का प्रेषण है कि आरईसी का अभिधान उप–विनियम 7(6) सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिये शर्तें और निबंधन) विनियम, 2010 में परिभाषित किया गया है तथा उपरोक्त सीईआरसी के विनियमों के अधीन जारी 'योग्य एन्टिटीज़ को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया' में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, विकासकर्ता, आरईसी जारी किये जाने के लिये, अभिहित राज्य अभिकरण की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अभिकरण से प्रत्यायन प्राप्त करने के पश्चात् ही योग्य होते हैं। साथ ही, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र रजिस्ट्री (केन्द्रीय अभिकरण एनएलडीसी) द्वारा विकासकर्ताओं को आरईसीज़ जारी किये जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न आरईसी विनियमों के

माध्यम से भी आरईसीज़ के लेनदेन होते हैं। उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि आरईसी का अधिमान दर्शाने के लिये अतिरिक्त उपबंध बनाने में राज्य आयोग आवश्यक रूप से अपेक्षित नहीं है।

विश्लेषण और निर्णय

स्टेकहोल्डर्स द्वारा संदर्भित किये अनुसार इसे सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिये शर्तें और निबंधन) विनियम, 2010 के अधीन पहले ही उपबंधित किया जा चुका है। तदनुसार, ऊपर पैरा (i) में संदर्भित मुख्य विनियमों के विनियम 4.3 के आलोक में इसे पृथक रूप से उपबंधित करने की आवश्यकता नहीं है।

k. प्रत्यायन के प्रतिसंहरण का रद्द किया जानाः

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 ओपन एक्सेस यूज़र्स एसोसियेशन ने कहा है कि यूईआरसी द्वारा किया गया नवीकरणीय कैप्टिव उत्पादकों का प्रत्यायन रद्द किया जाना चाहिये और नवीकरणीय उत्पादकों को किसी प्रकार के आवेदन को पुनः फाईल करने के लिये न कहा जाये क्योंकि वे योग्य नवीकरणीय उत्पादक, केन्द्रीय अभिकरण (एनएलडीसी) के साथ रजिस्टर्ड होने के पश्चात् ऊर्जा विनिमय मंत्र पर आरईसीज़ के व्यापार की प्रक्रिया में हैं।

विश्लेषण और निर्णय

आयोग का मत है कि प्रतिसंहरण का उपबंध विकासकर्ता द्वारा किसी प्रकार के अनुचित कार्य या जानबूझ कर व्यतिक्रम को रोकने के लिये किया गया है जैसा कि मुख्य विनियम और साथ ही सीईआरसी के सुसंगत विनियम में विस्तार से निम्नलिखित रूप से दिया गया हैः

"11.0 प्रत्यायन का प्रतिसंहरण

11.1 यदि राज्य अभिकरण, कोई जांच कराने के पश्चात् या केन्द्रीय अभिकरण की रिपोर्ट के आधार पर सन्तुष्ट है कि जनहित में ऐसा आवश्यक है वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी के प्रत्यायन को वहां वापस ले सकती है जहां कि ऐसी कंपनी (ए) अपने प्रत्यायन के ऐसी किन्हीं निबंधनों और शर्तों को तोड़ती है जो कि ऐसे प्रत्यायन द्वारा अभिव्यक्त रूप से घोषित की गई हों, जिनके तोड़ने से वह कंपनी प्रतिसंहरण हेतु जिम्मेदार होती हो (बी) इन विनियमों के अधीन या इसके द्वारा अपेक्षित किसी कार्य में, राज्य अभिकरण की राय में, जानबूझ कर निरंतर व्यतिक्रम करती हैं।

11.2 राज्य अभिकरण, ऊपर विनियम 11.1 के अधीन प्रत्यायन वापस लेने से पहले, ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

11.3 विनियम 11.1 एवं 11.2 के उपबंधों के होते हुए भी आयोग यदि उचित समझे तो वह समय समय पर राज्य अभिकरण को ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी के विरूद्ध जांच आरम्भ करने और/या प्रतिसंहरण प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्देश दे सकता है।

11.4 राज्य अभिकरण के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे निर्णय को संसूचना की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर आयोग के पास निवारण हेतु जा सकता है तथा आयोग जैसे उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है।"

इसके अलावा, शिकायत दूर करने का उपबंध भी है, जैसा कि विनियम 11.4 में उल्लिखित है। अतः, आयोग के समक्ष निवेदन का अवसर भी प्रत्यायन वापस लेने से पहले विकासकर्ता को दिया जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्टेकहोल्डर द्वारा दिये सुझाव पर विचार नहीं किया जाता है। यदि विनियम के अनुसार आयोग द्वारा किसी प्रत्यायन को रद्द किया जाता है तो उत्पादक को प्रत्यायन की प्राप्ति हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

1. वित्तीय वर्ष 2013–14 से आगे के लिये आर.पी.ओ. लक्ष्यः

<u>प्राप्त टिप्पणियां</u>

मै0 आर.ई. कनैक्ट एनर्जी सॉल्यूशन्स ने कहा है कि आर.पी.ओ. लक्ष्य केवल वित्तीय वर्ष 2012–13 तक रखे गये हैं तथा उसने आर.पी.ओ. ट्रैजेक्टरी को एन.ए.पी.सी.सी. के अनुरूप 2020 तक रखने का सुझाव दिया है ताकि दायित्वाधीन कंपनियां अपने आर.पी.ओ. लक्ष्य की आगे तक की योजना बना सकें और परियोजना विकासकर्ता तदनुसार क्षमता निर्माण की योजना बना सकें।

<u>विश्लेषण और निर्णय</u>

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि आयोग ने यूईआरसी (गैर परम्परागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क और अन्य निबंधन) विनियम, 2013 के विनियम 9 में सौर और गैर सौर दोनों स्रोतों के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक के लिये आर.पी.ओ. लक्ष्य विनिर्दिष्ट किये हैं। इसके सुसंगत प्राविधान यहां नीचे उद्धृत किये गये हैं:–

"(1) ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परम्परागत स्रोतों के विकास को प्रोन्नत करने के लिये अधिनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति के प्राविधानों के अनुरूप राज्य में सभी

वर्तमान व भविष्य के वितरण अनुज्ञापी, कैप्टिव उपयोगकर्ता और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, (इसमें आगे "दायित्वाधीन कंपनी" के रूप में संदर्भित), विनियम 4 के अधीन परिभाषित योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से नीचे दर्शाये गये रूप में अपने उपभोग हेतु अपनी कुल विद्युत आवश्यकता को न्यूनतम प्रतिशत की अधिप्राप्ति हेतु दायित्वाधीन होंगे। यह दायित्वाधीन कंपनी का नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.) कहलायेगा।

वर्ष	*नवीकरणीय क्रय दायित्व–गैर–सौर दायित्व–सौर*	*नवीकरणीय क्रय*
2013-14	*6.00%*	*0.050%*
2014-15	*7.00%*	*0.075%*
2015-16	*8.00%*	*0.100%*
2016-17	*9.00%*	*0.300%*
2017-18	*11.00%*	*0.500%*

** ऊपर नियत क्रम में प्रतिशत आर.पी.ओ., स्वयं उप भोग हेतु वर्ष के दौरान दायित्वाधीन कंपनी द्वारा उत्पादित/सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन और गैर जीवाश्म–आधारित सह–उत्पादन से क्रय की न्यूनतम मात्रा व्यक्त करता है।"*

संलग्नक–1

निम्नलिखित स्टेकहोल्डर्स ने प्रारूप संशोधन विनियमों पर अपनी लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:–

क्रम सं0	स्टेकहोल्डर्स का नाम
1.	उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
2.	मै0 सेन्चुरी पल्प एंड पेपर
3.	मै0 ओपन एक्सेस यूजर्स एसोसियेशन
4.	मै0 भिलंगना हाइड्रो पावर लि0
5.	मै0 आरई कनैक्ट एनर्जी सॉल्यूशन्स प्रा0लि0

आयोग के आदेश से,

(नीरज सती)

सचिव

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/237–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।